न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/589

1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जी दूदू जिला जयपुर ।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, दूदू जिला जयपुर

—रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर मु0सं0 12/2016 उनवानी श्रीमती प्रेम कंवर बनाम तहसीलदार दूदू दिनांक 11.03.2019

उपस्थित—

1. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—27.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 11.03.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम दूदू तहसील दूदूस्थित खाता संख्या 496 के खसरा नम्बर 4215 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4216 रकबा 1.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4237 रकबा 0.19 है0, 4238 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 हैक्टर स्थित है। जिसमें साबिक खसरा नम्बर 1490 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा दर्ज है की तरमीम गलत हो जाने से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिनांक 11.03.2019 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर दिनांक 11.03.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपखण्ड अधिकारी दूदू के यहां प्रार्थना पत्र बाबत तरमीमी दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 131 एल. आर. एक्ट के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम दूदू जमाबन्दी सम्मत 2065 2066 के खाता संख्या 496 के खसरा नम्बर 4215 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4216 रकबा 1.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4237 रकबा 0.19 है0, 4238 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 हैक्टर स्थित है। जिसमें साबिक खसरा नम्बर 1490 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा दर्ज है। जो शामिल मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। इसी प्रकार विपक्षी नम्बर 2 साबिक खसरा नम्बर 1522 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा गैर मु. चरागाह से हाल खसरा नम्बर 4214 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4218 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4217 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर का आवंटन/नियमन किया है। जिसमें साबिक खसरा नम्बर 1490 व 1522 की राजस्व रिकार्ड में साबिक नक्शा ट्रेस जो तरमीम दर्ज की है वह मौके कब्जेनुसार सही दर्ज थी। जिसको हाल सैटलमेन्ट के दौरान अपीलार्थीया के साबिक खसरा नम्बर 1490 के हाल नक्शे में जो खसरा नम्बर 4215 रकबा 0.31 हैक्टर जो साबिक खसरा नम्बर 1522 के दक्षिण पूर्वी सीमा के लगवा है । उसको गलत तरमीम कर दी है। जिसे दुरूस्त किया जावे एवं साबिक खसरा नम्बर 1490 व 1522 के साबिक नक्शे के अनुसार एवं मौके कब्जे अनुसार नवीन सही तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

इसके उपरान्त विपक्षी नम्बर 2 के साबिक खसरा नम्बर 1522 व 1521 मिन कायम किया जाकर हाल खसरा नम्बर 4214, 4218 व 4217 कायम किये नवीन खसरा संख्या की तरमीम नक्शा ट्रेस के मुताबिक सही मानकर जो रकबा बरानी व सीमाज्ञान मौके पर ई. टी. एस. मशीन द्वारा मौके स्थिति का सर्वेक्षण रिपोर्ट की है । उसी को उधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती सरसरी तौर पर दिनांक 11.03.2019 को खारिज कर दिया। अपीलार्थीया के साबिक खसरा नं. 1490 के हाल खसरा नं. 4215, 4216, 4237, 4238 कुल किता 4 कुल रकबा 1.84 है0 तथा रेस्पो0 संख्या 2 के साबिक खसरा नं. 1522 के हाल खसरा नं. 4214, 4218, 4233 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 है0, दोनो खसरा नं. 1522 एवं 1490 सींव जोड है साबिक से हाल खसरों की तरमीम पटवारी नक्शा ट्रैस दिनांक 28.09.2022 से स्पष्ट है कि दोनों नक्शों में भिन्नता है। उक्त साबिक नक्शा लट्ठा एवं वर्तमान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी नक्शा शीट में अन्तर आता है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि साबिक ख.नं. 4215, 4216, 4237, 4238 के खसरे में से जो उत्तर पश्चिम साइड में पूर्व से त्रिकोण भाग गलत रूप से मिला दिया जिससे अपीलार्थी की गलत तरमीम को दुरुस्त किया जाना है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट / राजकीय अधिवक्ता के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 28.09.2022 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू स्थित प्रार्थीया के हाल खसरा नं. 4215, 4216, 4237, 4238 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के हाल खसरा नं. 4214, 4218, 4217 की तरमीम गलत हो जाने से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 नम्बर 2 के साबिक खसरा नम्बर 1522 व 1521 मिन कायम किया जाकर हाल खसरा नम्बर 4214, 4218 व 4217 कायम किये नवीन खसरा संख्या की तरमीम नक्शा ट्रेस के मुताबिक सही मानकर जो रकबा बरानी व सीमाज्ञान मौके पर ई. टी. एस. मशीन द्वारा मौके स्थिति का सर्वेक्षण रिपोर्ट की है । उसी को आधार मानकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।अपीलार्थी एवं रेस्पा0 संख्या 2 के खसरा नं. 1522 एवं 1490 सींव जोड है साबिक से हाल खसरों की तरमीम पटवारी नक्शा ट्रैस दिनांक 28.09.2022 से स्पष्ट है कि दोनों नक्शों में भिन्नता है। उक्त साबिक नक्शा लट्ठा एवं वर्तमान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी नक्शा शीट में भी अन्तर आता है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुरखारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 11.03.2019निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर साबिक एवं हाल नक्शों के अवलोकन पश्चात् पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।